तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ओमप्रकाश बनाम ओमप्रकाश वगै अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर – 438/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । पूर्व रजि. नोटिस जारी होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित नहीं जिससे यह प्रतीत होता है की अप्रार्थी संख्या 1 की रूचि उक्त प्रार्थना पत्र मे नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। तदोपरान्त बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम चक 298–800 आरडी के मु0नं0 210/61 एवं मु0नं0 210/62 मे कुल तादादी 2.0991 हैक्टेयर कमांड खाला सहित खातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी भूमि मे आ–जा नहीं सकता है। प्रार्थी के पूर्व दिशा के चिपते मु0नं0 230/5 के कि0नं0 1,10,11,20,21 मे सरकारी रास्ता है मौका पर पक्की सड़क बनी हुई है। प्रार्थी के खेत मे कटानी रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी कभी किसी के खेत मे से आता–जाता है लेकिन कटानी रास्ता नहीं होने के कारण अन्य काश्तकार जब चाहे अपनी इच्छा से रास्ता बन्द कर देते है जिसके कारण प्रार्थी के खेत मे खडी फसल खराब हो जाती है इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि के लिए रास्ता कटवाना चाहता है। मु0नं0 210/61 के कि0नं0 23ता25 जो प्रार्थी के पूर्व दिशा मे चिपते हुए किले है अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। प्रार्थी की भूमि मे आने–जाने के लिए ओर कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है जिसके कारण प्रार्थी की फसल खराब हो रही है। प्रार्थी अपने खेत मे कभी किसी के खेत मे रास्ता मांग कर जाता है कभी किसी अन्य के खेत मे रास्ता कानूनी स्वीकृत नहीं होने के कारण मांग कर जाना होता है। जिसके कारण प्रार्थी की फसल उजड़ जाती है व प्रार्थी अपनी जमीन में काश्त नहीं कर सकते इसलिए प्रार्थी को अपने खेत मे आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी वकील द्वारा चक 298–800 आरडी के मु0नं0 210/61 के कि0नं0 23ता25 मे 02–02 बिस्वा पूर्व से पश्चिम, दक्षिण दिशा मे नियमानुसार रास्ता स्वीकृत हेतु निवेदन किया गया। राज पैरोकार द्वारा जवाब में कहा गया की स्वीकृत किये जाने वाला रास्ता के सम्बन्ध में सरकार को कोई आपति नहीं हैं। तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली शामिल हैं। रिपोर्ट में चक 298–800 आरडी के मु0नं0 210/61 के किला नम्बर 23,24,25 मे मौका अनुसार दक्षिणी सीमा पर रास्ता देने पर किला नम्बर 23 मे दक्षिणी दिशा मे डिग्गी व किला नम्बर 25 मे दक्षिणी दिशा मे ढाणी बनी हुई है। अतः मुताबिक रिपोर्ट किला नम्बर 23,24,25 के उत्तरी दिशा मे 02–02 बिस्वा का रास्ता कटान किया जाना नजदीक व उचित की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हमने बहस का मनन किया । पत्रावली शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी चक 298–800 आरडी संवत् 2078–2081 एवं नकल नक्शा एवं तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट का अवलोकन किया । उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 298–800 आरडी के मु0नं0 210/61 के किला नम्बर 23,24,25 मे मौका अनुसार दक्षिणी सीमा पर रास्ता देने पर किला नम्बर 23 मे दक्षिणी दिशा मे डिग्गी व किला नम्बर 25 मे दक्षिणी दिशा मे ढाणी की बाधा आने पर उक्त रास्ता स्वीकृत करने के अनुकुल नहीं है। अतः मुताबिक रिपोर्ट चक 298–800 आरडी के मु0नं0 210/61 के किला नम्बर 23,24,25 के उत्तरी दिशा मे 02–02 बिस्वा का रास्ता कटान किया जाना नजदीक व उचित प्रतीत होता हैं। अतः उक्त रास्ता चक 298–800 आरडी के मु0नं0 210/61 के किला नम्बर 23,24,25 के उत्तरी दिशा मे 02–02 बिस्वा का रास्ता कटान भूमि गैमु रास्ता दर्ज होगी। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता भूमि 06 बिस्वा की वर्तमान डीएलसी दर के दुगने भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 को होने पर नियमानुसार रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 18.07.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (संजीव कुमार) **उपखण्ड अधिकारी** **लूनकरनसर**	